न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र रिव्यू सं0 90/2024

ग्राम पंचायत बडागांव वर्तमान पंचायत ठीकरिया

.......प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा
2. ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील नांगल राजावतान

....अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र पुनर्विचार आदेश दिनांक 22.5.2024 अंतर्गत धारा 47 नियम 01 सपठित धारा 229 रा. का.अधिनियम।

उपस्थित–1. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री जगजीवन राम, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।

दिनांकः 31.01.2025

निर्णय

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.5.2024 जो कि प्रार्थना पत्र सं0 108/2022 रा.रा.अ. पर पारित किया गया है से व्यथित होकर यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रिव्यू में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम गढ पटवार मंडल ठीकरिया तत्कालीन ग्राम पंचायत बडागांव तहसील नांगल राजावतान स्थित आराजी खसरा नंबर 1455, 1458 से 1460 कुल किता 4 रकबा 3.28है. में से खसरा नं0 1457, 1458 व 1460 में से भूमि अवाप्ति अधिकारी दौसा द्वारा एन.ए. 11 के दौसा कौथून खंड के लिए भूमि अवाप्त की गई थी जिस पर सडक निर्माण हो चुका है। उक्त भूमि का मुआवजा 1,21,92,613/–रू0 का दिनांक 19.6.2016 को ग्राम पंचायत बडागांव के नाम स्वीकृत हुआ क्योंकि भूमि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र की थी। ग्राम पंचायत बडागांव के आधिपत्य से अवाप्त की गई थी। ग्राम पंचायत ठीकरिया उस समय अस्तितत्व में नहीं थी। ग्राम पंचायत ठीकरिया का गठन सन 2020 में हुआ है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित किये जाने के आदेश के विरूद्ध यह प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय में प्रार्थना पत्र के शीर्षक में ही ग्राम पंचायत बडागांव वर्तमान ग्राम पंचायत ठीकरिया अंकित है। ग्राम पंचायत ठीकरिया को प्रतिकर राशि भुगतान करने का आदेश दिनांक 22.5.2024 को फरमाया गया है जिस पर पुनर्विचार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। भूमि [illegible] अवाप्त करने के समय ग्राम पंचायत बडागांव के अधिकार क्षेत्र की भूमि [illegible] पंचायत बडागांव के आधिपत्य से ही भूमि अवाप्त की गई दिनांक 5.9.2016 को [illegible] अधिकारी ने नियमानुसार मुआवजा अवार्ड ग्राम पंचायत के नाम ही स्वीकृत [illegible]। माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत बडागांव को पक्षकार बनाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत की [illegible] से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है न ग्राम पंचायत बडागांव को कोई सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिया गया है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के समय ग्राम पंचायत ठीकरिया अस्तित्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:14 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

में नहीं थी क्योंकि ग्राम पंचायत ठीकरिया का गठन वर्ष 2021 में हुआ था जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड दिनांक 15.9.2016 को पारित किया गया था उस समय ग्राम पंचायत ठीकरिया अस्तित्व में ही नहीं थी। ग्राम पंचायत बडागांव के नाम प्रचलित अवार्ड को भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तित नहीं फरमाया जा सकता है। न्याय के नैसर्गित सिद्धान्त के अनुरूप पीडित पक्षकार को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत है। बिना सूचना व सुनवाई पारित आदेश ग्राम पंचायत बडागांव के अधिकारों पर कुठाराघात है। प्रश्नगत आदेश से प्रार्थी के हक अधिकार प्रभावित हुए है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार फरमाया जाकर माननीय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.5.2024 पर प्रार्थी की सुनवाई कर पुनर्विचार फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि प्रार्थी ने गलत आधारों पर यह पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिला कलक्टर महोदय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.5.2024 पूर्णतया विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि ग्राम गढ वर्तमान ग्राम पंचायत ठीकरिया में आराजी भूमि खसरा नंबर 1455, 1457, से 1460 कुल किता 4 रकबा 3.28है. भूमि स्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी ग्राम पंचायत ठीकरिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि भूमि ग्राम पंचायत ठीकरिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसका शुद्धि पत्र के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत के नाम विधिवत रूप से नामान्तरण खोला गया है एवं उसके बाद ग्राम पंचायत ठीकरिया जो कि नई ग्राम पंचायत बनी है उसके कारण उक्त खसरा नंबर की उक्त भूमि भी ग्राम पंचायत ठीकरिया में शामिल हो गई व उक्त भूमि के समस्त हित स्वामित्व व कब्जा तथा मालिकाना हक ग्राम पंचायत ठीकरिया में समाहित हो गये एवं ग्राम पंचायत बडागांव व ग्राम पंचायत ठीकरिया की राजस्व सीमा अलग–2 होकर उनके सीमा संबंधी क्षेत्राधिकार का भी राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग अंकन हो गया। उक्त खसरा नंबर की जमीन ग्राम पंचायत ठीकरिया में आ जाने के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत ठीकरिया के नाम से ही संशोधित अवार्ड पारित किया गया जो पूर्णतया विधिसम्मत है। उक्त पारित अवार्ड की राशि को प्राप्त करने का अधिकार भी ग्राम पंचायत ठीकरिया को प्राप्त हो गया। उसके बाद ग्राम पंचायत बडागांव का उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार, स्वामित्व व वास्ता नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत ठीकरिया ने उक्त अवार्ड की राशि प्राप्त कर ली एवं अब ग्राम पंचायत बडागांव का उक्त जमीन व अवार्ड से कोई संबंध व वास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

7. ग्राम पंचायत बडागांव एवं ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील नांगल राजावतान दोनों ही राजकीय संस्थान है। ग्राम पंचायत ठीकरिया का भौतिक पृथिकरण ग्राम पंचायत बडागांव से किया गया है। उक्त राशि को ग्राम पंचायत ठीकरिया को निर्णय दिनांक 22.5.2024 के उपरांत किया गया है। वर्तमान भौगोलिक स्थिति अनुसार उक्त खसरे वर्तमान ग्राम पंचायत ठीकरिया में स्थित है। ऐसे में उक्त खसरों की मुआवजा राशि पुरानी ग्राम पंचायत बडगांव को दिया जाना उचित नहीं है। ग्राम पंचायत को दिये गये मुआवजा राशि का उपयोग संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न नियमों के तहत अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए किया जायेगा। ऐसे में जब उक्त भूमि जिसका मुआवजा (आदेश दिनांक 22.05.2024 की पालना में) ग्राम पंचायत को दिया जा रहा है वह वर्तमान में ग्राम पंचायत ठीकरिया (दिनांक 17.9.2021 को ग्राम पंचायत ठीकरिया के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:14 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरण खोला गया है) में स्थित होने के कारण उसकी पूववर्ती ग्राम पंचायत बडागांव को दिया जाना उचित नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायालय का मूल अभिलेख अभिलेखागार में जमा कराया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31 जनवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:14 IST
Reason: SelfAttested